यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी, एवं श्री एस.एस. दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.02.2018 से 26.02.2018 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीय, श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, श्री हर्षित जायसवाल, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27/05/16 से 02/06/16 तक श्री ए.एन. साहू लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/14 से 03/16 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/16 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः –

   (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व ¼**: yk[k esa½**
2014-15	6189.74
2015-16	7087.46
2016-17	8266.72

(ii)(c) बजट का विवरणः-

विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	स्थापना (लाख `)	गैर स्थापना	आधि	बचत (-)`

	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	क्य (+)`	
2014-15	-	-	59.55	58.52	--	-	-	-
2015-16	-	-	69.71	67.74	-	-	-	-
2016-17	-	-	92.88	77.37	-	-	-	-

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ---ए---श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव आबकारी>आबकारी आयुक्त >अपर आबकारी आयुक्त> संयुक्त आबकारी आयुक्त > उप आबकारी आयुक्त > सहायक आबकारी आयुक्त /जिला आबकारी आयुक्त>आबकारी निरीक्षक(आसवनी)>आबकारी सिपाही

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 09/2016 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-1 अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयावधि में आवश्यक दस्तावेज जमा न किए जाने पर लाईसेंस फीस ₹184.61 लाख जब्त न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या 118/XXIII/2016/04(01) 2016 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2016 के अनुसार आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2016-17 के शर्त 18(3) में यह प्रावधान किया गया है कि दुकान आंवटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे प्रस्तुत नही करता है तो इस दशा मे अनुज्ञापी को आंवटित देशी/विदेशी मदिरा

दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttarakhand Excise (settlement of licenses for retail sale country /foreign liquor/beer rule, 2001) से स्वत: निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष मे जब्त कर दिया जायेगा। यदि आवेदक के पास पैन नम्बर नही हो, तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अन्दर पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016-17 हेतु दुकानों का आवंटन दिनांक 21.03.16 को किया गया था। इसके सापेक्ष सभी वांछित अभिलेख दिनांक 09-04-2016 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। जनपद के विभिन्न अनुज्ञापियों द्वारा आवश्यक सभी पूर्ण अभिलेख आबकारी नीति के शर्त -18 के अनुसार निश्चित समयावधि मे प्रस्तुत नही किए गये थे, **(सूची संलग्न)**। अतः देशी/ विदेशी मदिरा की लाईसेंस फीस ☐15387938.00 एवं जमा प्रतिभूति `3072960.00 **(15387938+3072960) कुल `18460898/-** जब्त कर लाईसेन्स निरस्त किया जाना अपेक्षित था। विभाग द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर राजस्व जब्त की कार्यवाही नहीं की गयी।

इसे इंगित करने पर बिभाग ने उत्तर में बताया "कि वर्ष 2016-17 में ऐसे सभी अनुज्ञापियों जिनके द्वारा दुकान आवंटन के 20 दिन के भीतर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे, पर अनुज्ञापन शर्तो के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये `5000/- प्रति दुकान की दर से प्रशमन शुल्क की वसूली कर प्रकरण को क्षेपित किया गया है। यदि दुकान का आवंटन निरस्त किया जाता तो राजस्व क्षति संभावित होती अतः राजस्व हित में उपरोकतानुसार कार्यवाही की गई"।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि नीति के शर्तातानुसार अनुज्ञापी के द्वारा वांछित अभिलेख 20 दिन के अंदर प्रस्तुत न करने पर सभी जमा धनराशि जब्त करते हुये लाइसेन्स जब्त किया जाना था।

अतः अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयावधि में आवश्यक दस्तावेज जमा न किए जाने पर लाईसेंस फीस ₹ 184.61 लाख जब्त न किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम सं0	nqdku dk uke	vuqKkih dk uke	nqdku vkoaVu dh frfFk	nLrkost izLrqr djus dh vafre frfFk	nLrkost dk izdkj	fdl fnukad dks nLrkost tek fd;k x;k	nqdku dh ykbZlsal Qhl	जमा प्रतिभूति
1	clkSyh ns'kh efnjk	jktu flag iq= Jh mesn flag	21/03/2016	09/04/2016	th&39	16.05.2016	894000	110528
2	cXokyhiks [kj ns'kh efnjk	rstsUnz flag jkor iq= Jh /;ku flag jkor	21/03/2016	09/04/2016	pfj= izek.k i= th&39	2/5/2016 12/5/2016	991000	395000
3	dkslh ns'kh efnjk	Jh ca'kh/kj iq= Jh fd'kukUkUn	21/03/2016	09/04/2016	th&39	16/05/2016	1585000	424056
4	tkyyh ns'kh efnjk	Jh lqcks/k lkg iq= Jh nsoh yky lkg	21/03/2016	09/04/2016	LFkbZ fu0iz0i= th&39	10/5/2016 24/05/2016	611000	45000
5	jkuh[kr ns'kh efnjk	Jh lqjsUnz yky iq= Jh jru yky lkg	21/03/2016	09/04/2016	pfj= izek.k i= th&39	24/04/2016 20/05/2016	1430000	538000
6	}kjkgkV ns'kh efnjk	Jh txnh'k flag iq= Jh xksfoUn flag	21/03/2016	09/04/2016	th&39	25/05/2016	1271438	----
7	'kgjQkVd ns'kh efnjk	Jh vkuUn flag pkSgku iq= Jh jktsUnz flag pkSgku	21/03/2016	09/04/2016	th&39	16/05/2016	632000	372528
8	vYeksM+k &2 ns'kh efnjk	Jh fogkjh yky iq= Jh vejukFk yky	21/03/2016	09/04/2016	th&39	16/05/2016	2752000	261584
9	vYeksM+k &1 ns'kh efnjk	Jherh m"kk nsoh iRuh Jh lat; flag	21/03/2016	09/04/2016	th&39	16/05/2016	1934000	75056
10	eksys[kky ns'kh efnjk	Jh 'kEHkw flag iq= Jh uUnu flag	21/03/2016	09/04/2016	th&39	20/09/2016	753000	166050

11	i.Mqok[kky ns'kh efnjk	Jh Hkhe flag Jh ds'kj flag	21/03/2016	09/04/2016	th&39	20/05/2016	587000	562630
12	dksjhNhuk ns'kh efnjk	Jh iz;kx flag iq= Jh Hkxor flag	21/03/2016	09/04/2016	pfj= izek.k i= th&39	2/5/2016 2/5/2016	668000	10000
13	HkSfl;kNkuk ns'kh efnjk	Jh xksfoUn flag iq= Jh nkSyr flag	21/03/2016	09/04/2016	th&39	16/05/2016	913000	91528
14	tSarh ns'kh efnjk	Jh fodze flag iq= Jh dqUnu flag	21/03/2016	09/04/2016	th&39	6/7/2016	366500	21000
						योग	15387938.00	3072960.00

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-2 आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि पर कर का अनारोपण ₹ 43.72 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 2 के अनुसार व्यौहारी (dealer) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कारोवार के प्रयोजन के लिए या उसके सम्बन्ध में नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का क्रय विक्रय का कारोवार करता है। इस अधिनियम की धारा 42 के अनुसार विक्रय कीमत से मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो व्यौहारी द्वारा किसी माल के विक्रय के लिए प्राप्त की गयी है या प्राप्य है । इसी अधिनियम की धारा 4(2)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची मैँ सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर की दर 13.5% निर्धारित की गयी है ।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के वर्ष 2016-17 की व्यवस्थापन पत्रावली की जांच मैँ पाया गया कि विदेशी मदिरा व देशी मदिरा की दुकानों की लाटरी/नीलामी हेतु क्रमश: 1220 व 308 आवेदन पत्रों को विक्रय किया गया था। विदेशी मदिरा के आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि `26840000 = (1220*22000) व देशी मदिरा के आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि ` 5544000/- (308*18000) को लेखाशीर्ष 0039- राज्य उत्पादन शुल्क, 800- अन्य प्राप्तियाँ, 05- आवेदन शुल्क (अन्य मद) में जमा किया गया था। उक्त धाराओ के अनुसार आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि `32384000/-पर 13.5% की दर से `4371840/= कर राजकोष मैँ जमा किया जाना अपेक्षित था। जो विभाग द्वारा जमा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि इस कार्यालय स्तर से मदिरा दुकानों हेतु फार्मों की बिक्री नहीं की जाती है, विभागीय वेबसाईट पर आवेदक द्वारा स्वयं ही निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर निर्धारित दर से प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है । अतः आवेदन पत्रों की बिक्री किये जाने का प्रकरण न होने के कारण वैट की वसूली न किये जाने का कोई मामला नहीं बनता है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि प्रोसेसिंग व्यय की अपेक्षा बहुत अधिक है इसलिए आवेदन पत्रों की बिक्री माना जायेगा तथा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अनुसार ` 43,71,840/- का कर आरोपणीय है ।

अतः `43.72 लाख राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-3 देशी मदिरा की दुकानों से राजस्व कम प्राप्त होना ₹ 2.58 करोड़।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या 118/XXIII/2016/04(01) 2016 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2016 के अनुसार आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु नियम 5 (दो) में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दो चरणों में भी यदि दुकान व्यवस्थित नहीं हो पाती है तो पात्रता की अन्य शर्तें समान रहते हुये राज्य के निवासी दुकान हेतु पात्र माने जाएंगे। यदि तीसरे चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिए आवेदन करता है ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा।

परन्तु यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थित रह जाती है, तो उसके व्यवस्थापन के लिए यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो, तो **शासन की पूर्वानुमति** से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु संबन्धित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर आफ़र मांगकर एवं जिलाधिकारी के स्तर पर निगोशियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व आफ़र पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

पुन: उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 240/एXXXIII/ 2016/17(05)/2013 दिनांक 09 मई 2016 व कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1854/सात लाई0–एस-78/2016-17/ व्यवस्थापन/खण्ड-2 दिनांक 10 मई 2016 में निर्देशित किया गया था कि व्यवस्थित नहीं हो पायी दुकानों के सम्बन्ध में निविदा आमंत्रित की जाय तथा निविदा में दुकान हेतु निर्धारित राजस्व का 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो अधिकतम निविदा वाले निविदादाता को दुकान आवंटित की जाय किन्तु यदि उससे कम की निविदा प्राप्त होती है, तो अधिकतम निविदादाताओं के मध्य निगोशियेशन प्रारम्भ कर कम से कम निर्धारित राजस्व का 80 प्रतिशत तक लाने का प्रयास किया जाय। उक्तानुसार कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक राजस्व प्राप्त होते ही निविदादाता को दुकान का आवंटन कर दिया जाय।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिले की निम्न 07 देशी मदिरा की दुकानों के वर्ष 2016-17 के लिए व्यवस्थापन हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। ये दुकानें आवंटित होने तक दैनिक आधार पर चलाई गईं थी। इन दुकानों का निर्धारित राजस्व का क्रमश: 72.36%, 75.5% ,63% 65% 62% 66%62% पर निविदा प्राप्त हुई जो इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	दुकान का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु कुल निर्धारित राजस्व	वर्ष 2016-17 में प्राप्त राजस्व	वर्ष के लिये निर्धारित राजस्व के सापेक्ष प्रतिशत	वर्ष के लिये निर्धारित राजस्व के सापेक्ष कमी
1.	पनुवानौला	26645848	21317936	80%	5327912
2.	भिकियासैण	15185687	12645194	83.27%	2540493
3.	गनाई	16903682	11952720	70.71%	4950962
4.	भतरौजखान	14274508	10384031	72.75%	3890477
5.	सराईखेत	10544424	7374543	69.94%	3169881
6.	मासी	10358250	7673445	74.08%	2684805
7.	स्याल्दे	10646028	7437538	69.86%	3208490
	योग	104558427	78785407		25773020

इस प्रकार जिले की 7 दुकानों का बाद में व्यवस्थापन होने पर देशी मदिरा दुकानों पर निर्धारित राजस्व ` 104558427/- के स्थान पर ` 78785407/- राजस्व प्राप्त हुआ था। 7 देशी मदिरा की दुकानों से ` 25773020/- राजस्व कम प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त दुकानों हेतु निविदादाताओं से कई चरण के निगोशिएशन के उपरान्त भी सकल राजस्व का 80% राजस्व प्राप्त ना हो पाने पर जिलाधिकारी, अल्मोड़ा तथा आयुक्त, आबकारी, देहरादून से निर्देश प्राप्त कर उक्त अव्यवस्थित देशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन किया गया। इस प्रकार, इस स्तर से किसी प्रकार की राजस्व क्षति नहीं हुई है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समाचार पत्र दिनांक 31.03.2016 व 13,14 मई 2016 को प्रकाशित सूचना में सकल राजस्व को दर्शाते हुए पूर्ण राजस्व पर ही निविदा अवर्गोकृत की गयी थी। इसके बाद प्रकाशन का साक्ष्य विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि देशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन 29 जून को किया गया था। 29 जून से पूर्व कुल राजस्व का 80 प्रतिशत राजस्व या इससे अधिक राजस्व पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना अपेक्षित था साथ ही उपरोक्त दिशानिर्देशानुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता होने पर शासन की पूर्वानुमति नहीं ली गयी थी। इकाई द्वारा शासन की पूर्वानुमति का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया।

अत: विभाग को ` 25773020/- राजस्व क्षति हुई।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर-1 लाईसेन्स फीस व प्रतिभूति की धनराशि विलम्ब से जमा करने पर ब्याज का अनारोपण ₹ 1.64 लाख।

उत्तराखण्ड आबकारी एक्ट की धारा - 38 ए के अनुसार बकाया आबकारी राजस्व पर 18% वार्षिक की दर से ब्याज देय है। यदि कोई बकाया राजस्व तीन माह के अन्दर जमा नहीं किया गया तो 24% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिले की दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2016-17 हेतु दिनांक 21.03.2016 को हुआ था। कुछ दुकानों का व्यवस्थापन बाद मे किया गया था। किन्तु सभी अनुज्ञापियों द्वारा लाइसेन्स फीस एवं कुछ अनुज्ञापियों द्वारा प्रतिभूति निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं की गयी थी। लाइसेन्स फीस व प्रतिभूति विलम्ब से जमा करने पर ब्याज लिया गया था, किन्तु ब्याज की गणना सही से नहीं नहीं किया गया था। ब्याज की गणना करने पर अन्तर की धनराशि ` **163807** /- बनती है (**गणना शीट संलग्न है**)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि आबकारी आयुक्त, देहरादून के पत्र सं0 6512-24 दिनांक 15.03.2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के बिन्दु सं0 14 के अनुसार इन ड्राफ्टों का पैसा 07 दिवस के भीतर सरकारी खजाने में प्राप्त ना होने पर 08वें दिवस से 18% की दर से ब्याज लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त दिशानिर्देश वर्ष 2011-12 की अवधि हेतु देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में है। इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित कोई साक्ष्य अथवा दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः रु. 1.64 लाख राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>संलग्नक</u>

विलम्ब से जमा पर ब्याज की गणना

क्र0 सं0	दुकान का नाम	व्यवस्थापन की दिनांक	अनुज्ञापन की धनराशि (जो विलंब से जमा की गयी)	देय दिनांक	जमा करने की दिनांक	विलम्ब के दिवस	ब्याज की दर	ब्याज की धनराशि	अदा की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
देशी मदिरा										
1.	शहरफाटक	21.03.16	632000	21.03.16	05.04.16	15	18%	4675	2844	1831
2.	लमगड़ा	21.03.16	1391000	21.03.16	05.04.16	15	18%	10290	6220	4070
3.	भैसीयाछाना	21.03.16	913000	21.03.16	05.04.16	15	18%	6754	4109	2645
4.	बसौली	21.03.16	894000	21.03.16	05.04.16	15	18%	6613	4023	2590
5.	कोसी	21.03.16	1585000	21.03.16	05.04.16	15	18%	11725	7133	4592
6.	सोमेश्वर	21.03.16	2500000	21.03.16	02.04.16	12	18%	14795	7530	7265
7.	मझखाली	21.03.16	694000	21.03.16	05.04.16	15	18%	5134	3123	2011
8.	अल्मोड़ा -1	21.03.16	1934000	21.03.16	05.04.16	15	18%	14306	8703	5603
9.	अल्मोड़ा -2	21.03.16	2500000	21.03.16	05.04.16	15	18%	18493	12384	6109
10.	जालली	21.03.16	611000	21.03.16	05.04.16	15	18%	4520	2750	1770
11.	मौलेखाल	21.03.16	753000	21.03.16	05.04.16	15	18%	5570	3389	2181
12.	द्वाराहाट	21.03.16	1327000	21.03.16	05.04.16	15	18%	9816	5972	3844
13.	जैती	21.03.16	366500 366500	21.03.16	02.04.16	12 15	18%	2169 2711	1100 1650	1069 1061
14.	गनाई	11.07.16	338074	11.07.16	13.07.16	2	18%	333	00	333
15.	रानीखेत	21.03.16	1430000	21.03.16	05.04.16	15	18%	10578	6435	4143
16.	पण्डुवाखाल	31.03.16	587000	31.03.16	05.04.16	5	18%	1447	00	1447
	II प्रतिभूति		347080 215550	14.05.16	27.02.17 21.02.17	287 281	24% 24%	65498 39827	49124 29870	16374 9957
17.	बगवाली पोखर	26.03.16	991000	26.03.16	02.04.16	7	18%	3421	496	2925
18.	कफड़ा	21.03.16	646000	21.03.16	05.04.16	15	18%	4779	2907	1872
19.	कोरीछीना	21.03.16	668000	21.03.16	05.04.16	15	18%	4941	3006	1935

20.	भतरौजखान IIप्रतिभूति	11.07.16	855500	24.08.16	28.11.16	96	24%	54002	41064	12938
21.	स्याल्दे IIप्रतिभूति	11.07.16	201100	24.08.16	31.01.17	16 0	24%	21157	16088	5069
विदेशी मदिरा										
22.	रानीखेत	21.03.16	2500000	21.03.16	05.04.16	15	18%	18493	11795	6698
23.	गनाई	21.03.16	1572000	21.03.16	05.04.16	15	18%	11628	7074	4554
24.	मौलेखाल	21.03.16	843000	21.03.16	05.04.16	15	18%	6236	3794	2442
25.	भिकियासैण	21.03.16	1363000	21.03.16	04.04.16	14	18%	9410	5452	3958
26.	देघाट	21.03.16	305100 914900	21.03.16	02.04.16 04.04.16	12 14	18%	1806 6317	916 3660	890 2657
27.	द्वाराहाट	21.03.16	461276 1376724	21.03.16	02.04.16 04.04.16	12 14	18%	2730 9595	1384 5507	1346 4088
28.	जालली	21.03.16	704000	21.03.16	04.04.16	14	18%	4860	2816	2044
29.	अल्मोड़ा -1	21.03.16	2500000	21.03.16	04.04.16	14	18%	17260	16072	1188
30.	अल्मोड़ा -2	21.03.16	2500000	21.03.16	04.04.16	14	18%	17260	11832	5428
31.	दन्या	21.03.16	948000	21.03.16	04.04.16	14	18%	6545	3792	2753
32.	पनुवानौला	26.03.16	1103000	26.03.16	02.04.16	7	18%	3808	552	3256
33.	कोसी	21.03.16	1060000	21.03.16	04.04.16	14	18%	7318	4240	3078
34.	सोमेश्वर	21.03.16	1845000	21.03.16	04.04.16	14	18%	12738	7380	5358
35.	भैसीयाछाना	21.03.16	713000	21.03.16	04.04.16	14	18%	4923	2852	2071
36.	बाड़ेछीना	21.03.16	1114000	21.03.16	04.04.16	14	18%	7691	4456	3235
37.	बसौली	21.03.16	513000	21.03.16	04.04.16	14	18%	3542	2052	1490
38.	शहरफाटक	21.03.16	725000	21.03.16	04.04.16	14	18%	5005	2900	2105
39.	धौलछीना	21.03.16	404000	21.03.16	04.04.16	14	18%	2789	1616	1173
40.	एन टी डी बीयर शाप	21.03.16	150000	21.03.16	05.04.16	14	18%	1036	675	361
							योग	484544	320737	**163807**

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर-2 मदिरा की दुकान के व्यवस्थापन हेतु जमा प्रतिभूति पर बैंक गारन्टी दिये जाने पर स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण से राजस्व क्षति ₹ 1.14 लाख।

इण्डियन स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक खा 12-का के अन्तर्गत किसी संविदा के सम्यक पालन या किसी दायित्व के सम्यक निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी बैंक द्वारा निष्पादित गारण्टी विलेख पर प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिए **₹** 50 स्टाम्प शुल्क देय था जिसे अधिसूचना सं0 5-3700/11 दिनांक 16.12.1998 के द्वारा घटाकर 5 रुपया प्रति हजार कर दिया गया था, जो अधिकतम शुल्क **₹** 10000/- तक ही लिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के अभिलेखों तथा देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर लाईसेन्सियों की पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि **'संलग्न विवरण'** में उल्लिखित लाईसेन्स अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2016-17 में जो बैंक गारण्टी जमा की गयी थी उस पर स्टाम्प शुल्क **₹** 1,13,995/- कम अदा किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।

अतः **₹** 1.14 लाख राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

"संलग्नक"

वर्ष 2016-17

क्रम सं0	**दुकान का नाम**	**अनुज्ञापी का नाम**	**बैंक गारंटी की धनराशि (` में)**	**बैंक का नाम**	**देय स्टाम्प शुल्क (` में)**	**दिया गया स्टाम्प शुल्क (` में)**	**कम अदा स्टाम्प शुल्क (` में)**
1.	विदेशी-रानीखेत	श्री धरम सिंह रावत पुत्र स्व0 डुंगर सिंह रावत, रानीखेत, अल्मोड़ा	25,11,594	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, रानीखेत, अल्मोड़ा	10000	100	9900

2.	विदेशी- धौलछीना	श्री केशव दत्त बजेठा पुत्र श्री बची राम बचेठा, शहरफाटक, अल्मोड़ा	3,88,000	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी, नैनीताल	1940	100	1840
3.	विदेशी- पनुवानौला	श्री शंकर सिंह बिष्ट पुत्र श्री मदन सिंह, अल्मोड़ा	10,59,000	अल्मोड़ा अर्बन कॉपरेटिव बैंक लि0, अल्मोड़ा	5295	100	5195
4.	विदेशी- भिकियासैंण	श्री गोविन्द सिंह बिष्ट पुत्र श्री यशवंत सिंह, रानीखेत, अल्मोड़ा	13,06,195	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, रानीखेत, अल्मोड़ा	6531	100	6431
5.	विदेशी- शहरफाटक	श्री नरेन्द्र चन्द्र गुरुनानी पुत्र स्व0 श्री मोहन चन्द्र गुरुनानी, अल्मोड़ा	6,94,959	नैनीताल बैंक लि0, अल्मोड़ा	3475	100	3375
6.	विदेशी- बसोली	श्रीमती दीपा जोशी पत्नी शंकर दत्त जोशी, रानीखेत, अल्मोड़ा	4,91,899	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, रानीखेत, नैनीताल	2459	100	2359
7.	विदेशी- द्वाराहाट	श्री राम सिंह पुत्र प्रेम सिंह, अल्मोड़ा	17,61,520	अल्मोड़ा अर्बन कॉपरेटिव बैंक लि0, रानीखेत, अल्मोड़ा	8,808	10	8798
8.	देशी- कफड़ा	श्रीमती कमला पत्नी श्री हेमन्त, अल्मोड़ा	6,18,736	अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि0, अल्मोड़ा	3094	100	2994
9.	देशी- मौलेखाल	श्री शम्भू सिंह रावत पुत्र श्री नन्दन सिंह रावत, अल्मोड़ा	7,23,000	पंजाब नेशनल बैंक, अल्मोड़ा	3615	100	3515
10.	देशी- गनेई	श्री हीरा सिंह रावत पुत्र धरम सिंह रावत, अल्मोड़ा	9,77,753	अल्मोड़ा अर्बन कॉपरेटिव बैंक लि0, रानीखेत, अल्मोड़ा	4889	100	4789
11.	देशी- पनुवानौला	श्री जगदीश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री कृष्णानन्द भट्ट, अल्मोड़ा	18,08,643	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, अल्मोड़ा	9043	100	8943
12.	देशी- सोमेश्वर	श्री नारायण सिंह पुत्र हुकुम सिंह, अल्मोड़ा	24,05,500	भारतीय स्टेट बैंक, सोमेश्वर, अल्मोड़ा	12028	100	11928
13.	देशी- भिकियासैंण	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह, अल्मोड़ा	8,75,241	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, रानीखेत, अल्मोड़ा	4376	100	4276
14.	देशी- अल्मोड़ा-II	श्री बिहारी लाल पुत्र श्री अमर नाथ लाल	26,37,591	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, रानीखेत,	13188	100	13088

				अल्मोड़ा			
15.	देशी- बसौली	श्री राजन सिंह पुत्र श्री उदय सिंह, अल्मोड़ा	8,57,114	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, रानीखेत, अल्मोड़ा	4286	100	4186
16.	देशी- भेसियाछिना	श्री बसन्त उप्रेती पुत्र श्री गौरी दत्त् उप्रेती, अल्मोड़ा	6,83,206	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, रानीखेत, अल्मोड़ा	3416	100	3316
17.	देशी- द्वाराहाट	श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, अल्मोड़ा	12,71,438	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, रानीखेत, अल्मोड़ा	6357	100	6257
18.	देशी- रानीखेत	श्री सुरेन्द्र लाल पुत्र श्री रतन लाल, रानीखेत, अल्मोड़ा	1369940	अल्मोड़ा अर्बन कॉपरेटिव बैंक लि0, रानीखेत, अल्मोड़ा	6850	100	6750
19.	देशी- मजखाली	श्री बच्ची सिंह बिष्ट पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, अल्मोड़ा	6,65,586	अल्मोड़ा अर्बन कॉपरेटिव बैंक लि0, रानीखेत, अल्मोड़ा	3328	100	3228
20.	देशी- जल्ली	श्री सुबोध शाह पुत्र श्री देवी लाल, रानीखेत, अल्मोड़ा	5,85,361	अल्मोड़ा अर्बन कॉपरेटिव बैंक लि0, रानीखेत, अल्मोड़ा	2927	100	2827
						योग	**113995**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-3 "आपदा राहत निधि" हेतु धनराशि वसूल न किये जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 641/XXXII/2016/04(03)/2016 दिनांक 22 नवम्बर, 2016 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में "आपदा राहत निधि" के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा में प्रति बोतल ` 1.00, प्रति अद्धा ` 0.50, प्रति पौवा ` 0.25 तथा ` 1000/- प्रति बोतल से अधिक मूल्य की आयातित मदिरा की बोतल पर 2 प्रतिशत की दर से लगाए जाने का प्रावधान किया गया । इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्याः 10892/सात/लाई0/86/व्यवस्थापन/एमआरपी/देशी/मदिरा/2012-13/2016-17 दिनांक 17.12.2016 के द्वारा भी दिशा निर्देश दिये गये थे ।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जिले के अन्तर्गत बिक्री की गयी देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री पर उक्त "आपदा राहत निधि" के लिये कोई भी धनराशि नहीं ली गयी थी ।

शासन द्वारा दिये गये निर्देश का पालन न करने के परिणामस्वरूप "आपदा राहत निधि" के लिए कोई धनराशि जमा नहीं की गयी थी ।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित मद हेतु लेखाशीर्षक आवंटित/प्राप्त न होने के कारण आपदा राहत निधि में कोई धनराशि वसूल/जमा नहीं की गयी है । क्योंकि आपदा राहत निधि में धनराशि वसूल कर किस लेखाशीर्षक में जमा की जाती । जिले के अन्तर्गत बिक्रय की गयी विदेशी/देशी मदिरा से सम्बन्धित आंकड़े/सूचना शीघ्र ही लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित करने का आश्वासन दिया गया है ।

अत: "आपदा राहत निधि" में धनराशि जमा न करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में उक्त प्रस्तर में आपदा राहत निधि के लिये कोई लेखा शीर्षक आवंटित प्राप्त न होने के कारण इस मद में कोई धनराशि नहीं जमा किया जा सका प्रस्तर की प्रवृति के अनुसार STAN के अन्तर्गत जारी किया जा सकता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
SE-19/2012-13	-	प्रस्तर-1
SE-24/14-15	-	प्रस्तर-1
RS/DEO/28/2016-17	-	प्रस्तर-1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SE-19/2012-13	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या 1,	-	-	-
SE-24/2014-15	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या 1	निस्तारण हेतु प्रस्तावित	-	-
DEO/28/2016-17	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या 1	-	-	-

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	तिथि
(i)	श्री मनोज कुमार उपाध्याय,	सहायक आबाकारी आयुक्त,	29.12.15 से 09.04.17 तक
(ii)	श्री विवेक सौनकिया,	सहायक आबाकारी आयुक्त,	12.04.17 से 25.01.18 तक
(iii)	श्री दुर्गेश्वर कुमार, त्रिपाठी,	सहायक आबाकारी आयुक्त,	15.01.18 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र